न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र14(4) संख्याः 05/2019
दायर दिनांकः 04.10.2019
निर्णय दिनांक 19.05.2025

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजसमन्द **—प्रार्थी**

बनाम

1. श्रीमती डाली बेवा भेरा भील नि. सापील तह. राजसमन्द (मृतक)
2. श्री मांगीया पिता लखमा भील नि. सापोल तह. राजसमन्द **— अप्रार्थीगण**

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
2— विपक्षी संख्या 02 अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू—आंवटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सापोल पटवार मण्डल सांगठकलां तह. राजसमन्द के खसरा सं. 122/2 रकबा 5—00 बीघा किस्म बीड़ I लगान 3.00 श्रीमती डालीबाई बेवा भेरा, मांगीया पिता लखमा भील नि. सापोल तह राजसमन्द के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त भूमि श्रीमान् सबडिविजनल ऑफिसर महोदय राजसमन्द द्वारा दिनांक 12.10.1977 को कृषि प्रयोजनार्थ तेजा पिता भगा भील नि. सापोल तह राजसमन्द के नाम पर आवंटन की गई। उक्त आवंटन आदेश की पालना में उक्त भूमि का नामान्तरकरण ग्राम सापोल के नामा.सं. 197 दर्ज किया गया। उक्त आवंटित भूमि आराजी सं. 122 पर आवंटी तेजा पिता भगा भील के वारिसान का कब्जा नहीं है न ही उक्त भूमि पर काश्त की गयी है। मौके पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है जिन्हें अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत मजमे आम में दी गई। आवंटी एवं उसके वारिसान ने वक्त आवंटन से वर्तमान तक आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। अतः निवेदन

है कि ग्राम सापोल तहसील राजसमन्द के खसरा सं. 122 रकबा 5–00 बीघा का विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं उपखण्ड कार्यालय राजसमन्द से मूल आंवटन पत्रावली तलब की गयी। विपक्षी संख्या 1 की मृत्यु होने से तहसीलदार राजसमन्द से विधिक वारीसान की सूचना तलब की गयी जिसमें तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विपक्षी संख्या 2 ही विपक्षी संख्या 1 का विधिक वारीस है। विपक्षी संख्या 2 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी।

प्रार्थना पत्र पर राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सापोल पटवार मण्डल सांगठकलां तह. राजसमन्द के खसरा सं. 122/2 रकबा 5–00 बीघा किस्म बीड़ I लगान 3.00 श्रीमती डालीबाई बेवा भेरा, मांगीया पिता लखमा भील नि. सापोल तह राजसमन्द के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त भूमि श्रीमान् सबडिविजनल ऑफिसर महोदय राजसमन्द द्वारा दिनांक 12.10.1977 को कृषि प्रयोजनार्थ तेजा पिता भगा भील नि. सापोल तह राजसमन्द के नाम पर आवंटन की गई। उक्त आवंटन आदेश की पालना में उक्त भूमि का नामान्तरकरण ग्राम सापोल के नामा.सं. 197 दर्ज किया गया। उक्त आवंटित भूमि आराजी सं. 122 पर आवंटी तेजा पिता भगा भील के वारिसान का कब्जा नहीं है न ही उक्त भूमि पर काश्त की गयी है। मौके पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है जिन्हें अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत मजमे आम में दी गई। आवंटी एवं उसके वारिसान ने वक्त आवंटन से वर्तमान तक आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। अतः निवेदन है कि ग्राम सापोल तहसील राजसमन्द के खसरा सं. 122 रकबा 5–00 बीघा का विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे ।

मैनें राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम सापोल पटवार हल्का सांगठ कलां तहसील राजसमन्द के प्रश्नगत आराजी नम्बर 122 रकबा 5–00 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 12.10.1977 को तेजा पिता भगा भील को आवंटित की गयी। एवं आवंटन आदेश की शर्त संख्या 5 (क) में यह वर्णित किया गया कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों के अनुसार आवंटित भूमि काश्त नहीं करने तथा उसका उपयुक्त उपयोग नहीं करने पर भूमि बिना किसी मुआवजे का भुगतान किये बिना राज्य सरकार के पक्ष में निहित होने के दायित्वाधीन होगी। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी एवं उसके वारिसान का कब्जा नहीं है न ही उक्त भूमि पर काश्त की गयी है। और आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि वादग्रस्त आवंटित भूमि पर आवंटी एवं उसके वारिसान का कब्जा नहीं है न ही उक्त भूमि पर काश्त की गयी है न ही आवंटन शर्तों की पालना की गयी है। अतः आवंटी व उसके वारीसान द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4)

राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा दिनांक 12.10.1977 को तेजा पिता भगा भील को किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की मूल आवंटन पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटायी जावें। एवं तहसीलदार राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार राजसमन्द को निर्णय की प्रति भिजवायी जावे।

19/5/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

19/5/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद